3490
2816

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
कार्यालय, महानिदेशक,
सशस्त्र सीमा बल,
पूर्वीखण्ड-5, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली- 110066

संख्याः 09/स.सी.ब./प्रचा/गुमशुदा/2018(6)/- 187-88 दिनांक 26-6-19

COMMUNICATION BRANCH
डायरी संख्या / Dairy No	7596
दिनांक / Date	03/07
Dy Inspector General (Comn.)	
Commandant (Comn.)	
Dy Commandant (Comn.)	website
Assistant Director (Tele)	

प्रेषित,

श्रीमती सरिता देवी मनराल,
पत्नी स.उ.नि./सा. चंदन सिंह
ग्राम व पोस्ट आफिस – चम्पावत,
पुलिस थाना व जिलाः– चम्पावत,
(उतराखण्ड)।

विषय :– **सहायक उप निरीक्षक/सामान्य चन्दन सिंह मनराल, 15वीं वाहिनी स.सी.ब. काजलगांव (असम) की गुमशुदगी की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में ।**

गृह मंत्रालय (भारत सरकार) ने प्रधानमंत्री कार्यालय से आपकी शिकायत याचिका अपने यू. ओ. संख्या ए–12011/2018/प्र0का0सं0/कार्मिक–3 दिनांक 29.05.2019 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की है ।

इस संदर्भ में यह अवगत कराना है कि सहायक उप निरीक्षक/सा. चन्दन सिंह, 15वीं वाहिनी स.सी.ब. काजलगांव, असम की गुमशुदा की रिपोर्ट के उपरांत, 04.11.2018 को पंचम वाहिनी स.सी.ब. चम्पावत ने पुलिस .अधीक्षक, चम्पावत से संपर्क किया और गुमशुदगी के सम्बन्ध में की गयी कृत कार्यवाही प्राप्त करी । इसी कम में पंचम वाहिनी स.सी.ब. चम्पावत, चतुर्थ वाहिनी स.सी.ब. लखनऊ, 49वीं वाहिनी स.सी.ब. पीलीभीत ने अपने–अपने खोजी दल तैयार किये और उन्हें निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्र के सभी बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, मुख्य बाजार, चौराहों आदि में सहायक उप निरीक्षक/सा. चन्दन सिंह की खोजबीन करेंगे तथा सभी पुलिस स्टेशनों व हास्पीटलों में सम्पर्क करेंगे और सहायक उप निरीक्षक/सा. चन्दन सिंह के बारे में पता लगायेंगे । काफी खोजबीन के उपरांत जब सहायक उप निरीक्षक/सा. चन्दन सिंह का कोई सुराग नहीं मिला तो सीमांत मुख्यालय स.सी.ब. लखनऊ ने चतुर्थ वाहिनी स.सी.ब. को निर्देश दिये कि सहायक उप निरीक्षक/सा. चन्दन सिंह की छानबीन हेतु एक राजपत्रित अधिकारी को नामित किया जाये, जो सहायक उप निरीक्षक/सा. चन्दन सिंह की गुमशुदगी की जांच आख्या जल्द से जल्द करवाये । 15वीं वाहिनी स.सी.ब. काजलगांव (असम) ने वाहिनी से दो कार्मिकों को दिनांक 13.12.2018 को भेजा, जो लगातार आपके सम्पर्क में थे तथा उन्होंने सहायक उप निरीक्षक/साः चन्दन सिंह की खोजबीन के लिये सभी स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकारी से लगातार सम्पर्क किया, परन्तु सहायक उप निरीक्षक चन्दन सिंह को खोजने में असफल रहे ।

29/06 DC (Communication)

दिनांक 01.03.2019 को आपने बल मुख्यालय स.सी.ब. नई दिल्ली का दौरा किया और बताया कि जी.आर.पी. लखनऊ ने सहायक उप निरीक्षक/सा. चन्दन सिंह के दो मोबाइल फोन दो व्यक्तियों नरेश जाटव तथा मनोज जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं से बरामद किये । उसी दिन उप महानिरीक्षक(प्रचालन), बल मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल नई दिल्ली ने पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी. लखनऊ से मोबाइल पर उक्त मामले के बारे में वार्तालाप की और उन्होंने बताया कि दोनों संदिग्ध व्यक्ति वर्तमान में किसी अन्य मामलों में जेल में हैं , जिनकी पेशी दिनांक 07.03.2019 को निर्धारित है । बल मुख्यालय, स.सी.ब. नई दिल्ली ने संदेश संख्या 1356 दिनांक 06.03.2019 के द्वारा सीमांत मुख्यालय स.सी.ब. लखनऊ को निर्देशित किया कि सम्बन्धित पुलिस प्रधिकारी से सम्पर्क करके उनसे दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को रिमांड में लेकर सहायक उप निरीक्षक चन्दन सिंह के गुमशुदा केस की गंभीरता से पुछताछ करने का आग्रह करें और यह भी बताया कि श्रीमति सरिता देवी मनराल दिनांक 06.03.2019 को लखनऊ पंहुच रही हैं उन्हें हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाये ।

15वीं वाहिनी स.सी.ब. काजलगांव (असम) ने अपने दो कार्मिकों जो दिसम्बर 2018 से सहायक उप निरीक्षक चन्दन सिंह को खोजने के लिये भेजे थे, को पुलिस प्राधिकारी, जी. आर. पी. लखनऊ व मुरादाबाद से सम्पर्क करने तथा मामले की शीघ्र कार्रवाही करवाने के लिये भेजे ।

आपने अपनी शिकायत याचिका में अपने पति सहायक उप निरीक्षक/सा. चन्दन सिंह जो दिनांक 28.10.2018 से लखनऊ तथा मुरादाबाद के बीच गुमशुदा हैं जो मामला राजकीय रेल पुलिस (GRP) चारबाग लखनऊ में लंबित है की कार्यवाही में तेजी लाने और मामले से सम्बन्धित अन्य लोग जो बाहर हैं को पकडने जिससे सहायक उप निरीक्षक चन्दन सिंह का पता चल सके। इस संदर्भ में यह अवगत कराना है कि सशस्त्र सीमा बल ने उक्त मामले के जल्द निपटारे के लिये रेलवे पुलिस लखनऊ के साथ निम्नलिखित पत्राचार किये हैं और साथ में कई बार व्यक्तिगत संपर्क भी किया गया है :–

1 उप महानिरीक्षक(प्रचालन), बल मुख्यालय स.सी.ब. नई दिल्ली ने डी.ओ. पत्र संख्या 1381 दिनांक 07.03. 2019 के द्वारा महानिरीक्षक, जी0 आर0 पी0, लखनऊ से अनुरोध किया कि यह एक सी.ए.पी.एफ. के लापता स.उ.नि. का संवेदनशील मामला है और मामले को आगे बढ़ाने व अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस की एक विशेष टीम गठित की जाये ।

2 उप महानिरीक्षक(प्रचालन), सीमांत मुख्यालय, स.सी.ब. लखनऊ ने पत्र संख्या 3238–40 दिनांक 07.03. 19 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी. लखनऊ को घटना में पकड़े गये व्यक्तियों से गंभीर पूछताछ के लिये पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिये कोर्ट से आग्रह किया जाये ।

3 कमांडेंट(प्रचालन), सीमांत मुख्यालय स.सी.ब. लखनऊ ने पत्र संख्या 3333 दिनांक 04.04.19 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, जी. आर. पी. चारबाग, लखनऊ को घटना में पकड़े गये व्यक्तियों से गंभीर पूछताछ के लिये पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिये कोर्ट से आग्रह किया जाये, ताकि सहायक उप निरीक्षक चन्दन सिंह की वर्तमान स्थिति का पता चले।

4 कमांडेंट, चतुर्थ वाहिनी स.सी.ब. लखनऊ ने पत्र संख्या 7827 दिनांक 01.05.2019 के द्वारा महानिरीक्षक, सीमांत मुख्यालय स.सी.ब. लखनऊ को सूचित किया कि चतुर्थ वाहिनी स.सी.ब. लखनऊ के द्वारा नियमित सुनवाई के दौरान सभी उपयुक्त कदम लिए जा रहे हैं ताकि उपरोक्त मामले में उचित कार्यवाही हो । जी.आर.पी. चारबाग, लखनऊ के द्वारा यह कहा गया कि मनोज सिंह राठौर पुत्र कृष्ण सिंह राठौर की पुनः पी0सी0आर0 के लिए अगली सुनवाई दिनांक 02.05.2019 को दाखिल की जायेगी ।

5 उप महानिरीक्षक(प्रचालन), सीमांत मुख्यालय स.सी.ब. लखनऊ ने पत्र संख्या 6330 दिनांक 22.05.19 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी. चारबाग, लखनऊ को दिनांक 02.05.2019 को हुई सुनवाई की रिपोर्ट प्रेषित करने का अनुरोध किया तथा मामले पर भविष्य में होने वाली कारवाही से भी अवगत कराते रहने का निवेदन किया।

उपरोक्त पत्रों के उल्लेख में पुलिस अधीक्षक रेलवे, लखनऊ ने पत्र संख्या वाचक–लख0–27–2/19 दिनांक 13.06.2019 के द्वारा अवगत किया है कि अबतक की विवेचना से सहायक उप निरीक्षक/सा. चन्दन सिंह का कोई पता नही चल सका। प्र0नि0 थाना जीआरपी चारबाग/विवेचक को लखनऊ से मुरादाबाद के मध्य पड़ने वाले जीआरपी के थानों तथा जनपदो के बस स्टेशन कें अन्तर्गत पड़ने वाले थानों से स्वयं सम्पर्क स्थापित कर सहायक उप निरीक्षक/सा. चन्दन सिंह की तलाश करते हुये अभियोग का विधिक निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया है ।

सूचनार्थ हेतु प्रेषित है ।

कमांडेंट (प्रचालन)
बल मुख्यालय नई दिल्ली

प्रतिलिपिः–

1. श्री लवकेश सहगल, अवर सचिव (कार्मिक–3), गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सादर सूचनार्थ ।
2. कमांडेंट(कार्मिक–5), बल मुख्यालय स.सी.ब. नई दिल्ली को पी0जी0 पोर्टल में अपलोड करने हेतू । क्योंकि गृह मंत्रालय ने अपने यू.ओ. संख्या ए–12011/2018/प्र0का0सं0/कार्मिक–3 दिनांक 29.05.2019 **(प्रतिलिपि संलग्न)** के द्वारा निर्देश दिये हैं कि कार्यवाही की प्रति पी0जी0 पोर्टल में अपलोड की जाए।

SSB Portal and
SSB website are dealt by
DC (Commn) FHQ.

कमांडेंट (प्रचालन) 28/6/19
बल मुख्यालय नई दिल्ली